



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 05.04.2024

प्रकरण संख्या :- 54/2023 (2023/107)  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. उदयराम पिता छोगा गुर्जर
  2. कमला पुत्री छोगा गुर्जर
  3. नारायणलाल आत्मज किशनलाल गुर्जर
  4. पारस आत्मज किशनलाल गुर्जर
  5. मांगी पुत्री छोगा गुर्जर
  6. मोहनी बाई पत्नि किशनलाल गुर्जर
- सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज हीरा गुर्जर
  2. नारायणलाल आत्मज लेहरू गुर्जर
  3. श्रीमती डाली पुत्री हरलाल बैरवा
- सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास  
विपक्षीगण संख्या:- 1 लगायत 3 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-17.05.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाडा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 555 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 11 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 71/2023 (2023/146)

दर्ज दिनांक 16.05.2023

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

गंगादेवी, पत्नि उदयराम गुर्जर निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थीया

बनाम

1. नानूराम आत्मज हीरा बैरवा
2. शंकरलाल आत्मज खेमा सुथार
3. छगनलाल आत्मज बद्रीलाल सुथार
4. भवानीराम आत्मज बद्रीलाल सुथार
5. सीता पत्नि बद्रीलाल सुथार
6. कंवरचन्द्र आत्मज नाथू सुथार

सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास  
विपक्षीगण संख्या:- 1 लगायत 6 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-17.05.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 261 रकबा 1.07 हे0, 764/265 रकबा 0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 1.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 33 पर दर्ज होकर स्थित है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 261 रकबा 1.07 हे0, 764/265 रकबा 0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 1.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 33 पर दर्ज होकर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो सक्षम न्यायाल में वाद दायर कर चाराजोही करें। प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/- ( छः सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/- ( छः सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)

सहायक कलेक्टर प्रसन्न

उपखण्ड (भीलवाडा)

गंगापूर जिला भीलवाडा